न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–128/2017

आनन्द बिहारी ठाकुर..वादी

बनाम

योगी राय उर्फ योगेन्द्र राय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
12.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 06.03.2026 को अंदर धारा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया। वादी का आवेदन दिनांक 06.03.2026 आज दिनांक 12.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा धारा 151 व्य0प्र0सं0 के तहत आवेदन दाखिल किया गया जिसका प्रतिउत्तर दाखिल करने का न्यायालय द्वारा आदेश वादी को दिया गया परन्तु वादी द्वारा ससमय प्रतिउत्तर नहीं दाखिल कर पाने के कारण प्रतिउत्तर दाखिल करने से दिनांक 20.03.2025 को वंचित कर दिया गया। वादीगण जानबुझकर विलम्ब नहीं किए बल्कि शादी में लग जाने के कारण ससमय प्रतिउत्तर दाखिल नहीं कर सके। यदि वंचित आदेश दिनांक 21.03.2025 को वापस लेकर वादी का प्रतिउत्तर स्वीकार नहीं कियया जायेगा तो वादी न्याय पाने से वंचित हो जायेंगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में वंचित आदेश दिनांक 21.03.2025 को वापस लेकर वादी के प्रतिउत्तर को स्वीकार करने की कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर वादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 06.03.2026 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि न्यायहित में वंचित आदेश दिनांक 21.03.2025 को वापस लेकर वादी के प्रतिउत्तर को स्वीकार करने की कृपा किया	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–128/2017

आनन्द बिहारी ठाकुर...वादी

बनाम

योगी राय उर्फ योगेन्द्र राय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **12.03.2026**	जाए। वादी का आवेदन न्यायसंगत प्रतीत होता है। वादी के आवेदन को स्वीकार करने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 21.03.2025 को वापस लेते हुए वादी का आवेदन दिनांक 06.03.2026 अंदर धारा 151 व्य0प्र0सं0 को मो0–500/– हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 16.04.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	